राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

वाद संख्या–26/2025

अशोक कुमार बनाम् सरयुग मोची।

10.09.2025 इस वाद की सुनवाई दिनांक–09.09.2025 को हुई, जिसमें वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस0बी0के0 मंगलम एवं श्री अवनीश कुमार उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आयुष कुमार एवं श्री सर्वदेव सिंह विलम्ब से उपस्थित। जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी पदाधिकारी उपस्थित नहीं।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी द्वारा दिये गये Maintainbility Petition पर अपना पक्ष एवं तर्क रखा गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि रजनी कुमारी वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा Maintainbility के संबंध में, जो आदेश दिया गया है, वह विशुद्ध चुनाव याचिका के निर्धारण तक सीमित है। आयोग को केवल इतना ध्यान रखना है कि आयोग विशुद्ध रूप से चुनाव याचिका से संबंधित निर्वाचन विवादों को नहीं सुन सकता। उदाहरण स्वरूप यदि कोई प्रत्याशी मतगणना में धांधली का आरोप लगाता है, तो यह केवल चुनाव याचिका का विषय है। निर्वाचन परिणाम घोषित होने के उपरांत ऐसे मामले केवल सक्षम मुशिफ न्यायालय में ही उठाये जा सकते है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि ऐसे मामलों का उल्लेख बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–479 में वर्णित है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि हालाँकि अयोग्यता भी चुनाव रद्द करने के कारणों में शामिल है, इसके बावजूद माननीय न्यायालय के पूर्णपीठ द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–18 एवं धारा–475 में वर्णित अयोग्यता/योग्यता संबंधी प्रावधानों की सुनवाई आयोग स्तर पर किये जाने की अधिकारिता को स्वीकार किया गया है। यदि पूर्णपीठ के विचार में उक्त अधिकारिता आयोग में निहित नहीं होती, तो उन प्रावधानों को तत्समय ही माननीय न्यायालय द्वारा **''रद्द''** घोषित कर दिया गया रहता।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा 03 सिद्धांतों पर उनके वाद–पत्र के Maintainbility को चुनौती दी गई है। प्रथम सिद्धांत Principle of Merger का है, जिसमें उनका दावा है कि आयोग में संस्थित वाद संख्या–12/2020 में पारित आदेश के विरूद्ध C.W.J.C. No.4275/2022 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–09.05.2022 को आदेश पारित करते हुये, आयोग के आदेश को रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार आयोग का आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित आदेश के साथ Merged हो गया। पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा SLP No.10862-10864/2022 में दिनांक–01.09.2022 को आदेश पारित करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश के विरूद्ध स्थगनादेश दिया गया तथा प्रतिवादी को उक्त SLP No.10862-10864/2022 के विचाराधीन रहने तक पद पर बने रहने की छूट प्रदान की गई। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली आदेश के साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश का Merger हो गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी के उक्त तर्क का खण्डन किया गया तथा आयोग को बताया गया कि ज्योंहि माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के

आदेश Absolute Stay प्रदान किया गया, त्योंहि आयोग का आदेश प्रभावकारी हो गया, तथा यह माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश से Demerged हो गया। इस प्रकार केवल माननीय उच्च न्यायालय, पटना का आदेश ही माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश के साथ Merged हुआ। इस प्रकार प्रतिवादी का यह दावा कि आयोग का आदेश प्रभावहीन है, तर्क संगत नहीं है। अपने दावें में जोड़ डालते हुये, आयोग को बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश का दो खण्ड है। प्रथम खण्ड में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश पर Absolute Stay प्रदान किया गया तथा द्वितीय खण्ड में प्रतिवादी को अन्तरिम राहत प्रदान किया गया है, परन्तु यह राहत पिछले बोर्ड के कार्यकाल तक ही सीमित होगा, अन्यथा यदि इसे अनंतकाल तक बने रहने दिया जाये, तो माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश का प्रथम खण्ड स्वतः अर्थहीन हो जायेगा। अतः उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि Principle of Merger उनके Favour में है, न कि प्रतिवादी के Favour में।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी का दूसरा दावा Principle of Judicial Discipline के आधार पर है। इस संबंध में उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा उद्धरित उक्त सिद्धांत यहाँ लागू नहीं है, क्योंकि इस वाद के वादी तथा प्रतिवादी के विरूद्ध वाद संख्या–12/2020, के वादी अलग–अलग पक्षकार है। वाद संख्या–12/2020 का विषय–वस्तु यह था कि प्रतिवादी को Cut of date 04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान होने के कारण पद से निरर्हित किया जाए, जबकि यहाँ वाद का विषय यह है कि एक सक्षम प्राधिकार के द्वारा निरर्हित एक व्यक्ति निर्वाची पदाधिकारी के मिली–भगत से निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेकर निर्वाचित हो गया है, तो प्राधिकार के उस आदेश को लागू किया जाए।

आगे उनके द्वारा अपने तर्क में आयोग को बताया गया कि माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश पर Absolute Stay काफी सोच–विचार कर दिया गया है, ऐसे मामलों में जहाँ माननीय न्यायालय को रत्ती भर संशय हो, तो Stay Grant नहीं किया जाता है, परन्तु माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पहले Interim Stay Grant दिया गया, जिसे बाद में Absolute Stay में तबदील कर दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना का आदेश प्रभावहीन हो गया तथा आयोग द्वारा पारित आदेश प्रभावी हो गया। आयोग का आदेश अभी भी प्रभावी है तथा विचाराधीन वाद संख्या–26/2025 इसी प्रभावशीलता के कारण प्रतिवादी के घोषित निरर्हता पर आधारित है। अतः प्रतिवादी का यह तर्क की माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन वाद एवं आयोग में विचाराधीन वाद एक ही है, उचित नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी का द्वितीय तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी का तीसरा और अंतिम तर्क यह है कि यह मामला Res-Judicata से आच्छादित होने के कारण सुनवाई योग्य नहीं है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि अयोग्यता से संबंधित मामले एवं निर्वाचन विवाद Res-Judicata से आच्छादित नहीं होते। उनके द्वारा उदाहरण स्वरूप बताया गया कि यदि मान लिया जाए कि किसी

व्यक्ति के विरूद्ध विगत् चुनाव में तीन संतान होने के स्थिति पर वाद लाया जाता है, परन्तु साक्ष्य के अभाव में वाद को आयोग/सक्षम न्यायालय द्वारा निष्पादित कर दिया जाता है, परन्तु विगत् चुनाव एवं वर्तमान चुनाव के मध्य उसी व्यक्ति का एक अन्य संतान जन्म लेता है तथा विगत् वाद के वादी को अकाट्य साक्ष्य प्राप्त हो जाता है, तो वह व्यक्ति अयोग्यता संबंधी वाद सक्षम न्यायालय/आयोग में ला सकता है। यहाँ Res-Judicata का सिद्धांत कार्य नहीं करता। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वाद संख्या—12/2020 में पक्षकार अलग है तथा दोनों की विषय—वस्तु एवं विचारण का बिन्दु भी अलग है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि वाद संख्या—12/2020 का विचारण बिन्दु यह था कि प्रतिवादी को दिनांक—04.04.2008 के उपरांत दो या दो से अधिक जीवित संतान है, अथवा नहीं, जबकि विचाराधीन वाद संख्या—26/2025 का विचारण बिन्दु यह है कि वाद संख्या—12/2020 में आयोग के आदेश के प्रभावी होने के उपरांत प्रतिवादी को विगत् बोर्ड में प्राप्त अंतरिम राहत को अनन्तकाल तक बढ़ाया जाए, अथवा नहीं। इस प्रकार दोनों ही विषय—वस्तु तथा पक्षकार भी अलग है। अतः केवल प्रतिवादी के समानता के आधार पर इस पर Res-Judicata लागू नहीं होता।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा तीन प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर वाद के Maintainability को चुनौती दिया गया है। अपने तर्क को बढ़ाते हुये, उनके द्वारा Maintainability Petition के पारा—03 का वाचन किया गया तथा वाद संख्या—12/2020 एवं वाद संख्या—26/2025 की समानताओं को रेखांकित किया गया तथा आयोग को बताया गया कि दोनों वादों में केवल वादी का अन्तर है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि Principle of Merger के कारण आयोग का आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के साथ Merged है, जिसके Merit पर मामला अबतक माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन है। चूँकि मामला विचाराधीन है, अतः इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि C.W.J.C. No.4275/2022 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक—09.05.2022 को पारित आदेश दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में आयोग के आदेश को रद्द किया गया है, जबकि द्वितीय खण्ड में आयोग पर पाँच हजार रूपये का अर्थ दण्ड लगाया गया है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रायः ऐसे मामलों में माननीय उच्चत्म न्यायालय, नई दिल्ली में अधिवक्तागण अर्थदण्ड पर अन्तरिम राहत प्राप्त करने का प्रयास करते है, तो कभी—कभी पूरे आदेश पर स्थगन प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से माननीय उच्चत्म न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा SLP No.10862-10864/2022 में स्थगन प्रदान कर दिया गया है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि आयोग द्वारा रजनी कुमारी वाद को भी माननीय उच्चत्म न्यायालय, नई दिल्ली में चुनौती दी गयी है। उनके द्वारा माननीय उच्चत्म न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष आयोग द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को भी वर्तमान वाद से जोड़ने का प्रयास किया गया, जिसे आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा इस वाद को प्रारंभ करने हेतु एक भी Unimpeachable Documents या साक्ष्य नहीं दिया गया है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी

के आरोपों का आधार माननीय उच्चत्म न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है। अतः वाद को प्रारंभ नहीं किया जा सकता।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि Judicial Discipline के अनुसार अगर एक ही मामला उच्चत्तर न्यायिक फोरम पर विचाराधीन हो, तो उससे निम्न स्तर के न्यायिक फोरम द्वारा उसपर विचार नहीं किया जा सकता। चूँकि मामला माननीय उच्चत्म न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन है, अतः वाद की सुनवाई नहीं कि जा सकती। इस संबंध में उनके द्वारा पारा–07(ii) का वाचन किया गया तथा Union of India Vs. Jaiswal Coal Company में माननीय उच्चत् न्यायालय, नई दिल्ली के न्याय–निर्णय का उदाहरण दिया गया।

अंत में उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि CPC-1908 की धारा–11 में Res-Judicata सिद्धांत का वर्णन है, इसके तहत चूँकि एक ही विषय पर आयोग द्वारा अपना निर्णय पारित किया जा चुका है, तो पुनः आयोग द्वारा इस विषय पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। उनके द्वारा CPC-1908 की धारा–11 का वाचन आयोग के समक्ष किया गया तथा यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि आयोग में संस्थित वाद संख्या–12/2020 एवं वर्तमान वाद संख्या–26/2025 हर दृष्टिकोण से समरूप है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी के उक्त तर्कों का खण्डन किया गया उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा लगभग समरूप तर्कों को लेकर C.W.J.C.No. 13160/2025 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित C.W.J.C.No. 4175/2022 के आदेश एवं SLP No.10563-10565/2022 के विचाराधीन होने का हवाला दिया गया था, परन्तु माननीय उच्च न्यायाल, पटना द्वारा उनके इस तर्क को स्वीकार नहीं किया गया तथा प्रतिवादी के Writ Petition को Dismiss कर दिया गया। इस प्रकार प्रतिवादी के ऊपर Law of Waiver Apply करता है तथा इनका Maintainability पर सुनवाई का माँग Waived off हो चुका है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा लगाया गया साक्ष्य Unimpeachable साक्ष्यों की श्रेणी में है, क्योंकि किसी न्यायालय या प्राधिकार द्वारा पारित आदेश Public Documents है तथा जबतक इनको पलट नहीं दिया जाए, ये अभिलेख अकाट्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाते है। उनके द्वारा तर्क दिया गया कि यदि प्रतिवादी का तर्क स्वीकार कर लिया जाता है, तो बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 महत्वहीन हो जायेगी तथा आयोग द्वारा किसी भी वाद में कभी भी सुनवाई नहीं की जा सकेगी, क्योंकि ज्योंहि आयोग में वाद दायर हो त्योंहि प्रभावित पक्ष माननीय उच्च न्यायालय, पटना में 'रिट' दायर कर देगा तथा यह तर्क देगा कि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो यहाँ इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वास्तव में न्याय प्रणाली इस प्रकार कार्य नहीं करती।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा जिस SLP No. का उल्लेख किया जा रहा है, वह वास्तव में तत्समय श्रीमती उषा कौशिक के द्वारा दायर SLP No. का आदेश है, अर्थात् प्रतिवादी का यह तर्क कि आयोग के अर्थदण्ड पर स्थगन आदेश दिये जाने के कारण गलती से माननीय

उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C.No. 4175/2022 में दिये गये पूर्ण आदेश पर स्थगन हो गया है, पूर्णतः गलत एवं भ्रामक तर्क है, क्योंकि श्रीमती उषा कौशिक का वास्ता आयोग पर लगाये गये अर्थ दण्ड से दूर–दूर तक नहीं है। अंत में उनके द्वारा पुनः अपने पूर्व में दिये गये तर्क को दुहराया गया कि यदि माननीय उच्चत्म न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिये गये अंतरिम आदेश में प्रतिवादी को दिये गये अंतरिम आदेश को अनंतकाल तक बढ़ाया जाता है, तो माननीय उच्चत्म न्यायालय, नई दिल्ली का आदेश के प्रथम खण्ड का क्या प्रभाव रह जायेगा, अगर ऐसा होगा तो अप्रत्यक्ष रूप से माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्विसदस्यीय पीठ द्वारा दिये गये न्याय–निर्णय के प्रभाव को जीवित करने के समान है, जिसको माननीय उच्चत्म न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्वयं ही प्रभावहीन किया गया है। अंत में उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि वर्तमान समय में केवल वाद संख्या–12/2020 में आयोग द्वारा दिया गया निर्णय ही अस्तित्व में है, जिसके आधार पर प्रतिवादी न तो चुनाव लड़ने की योग्यता धारण करते थे और न ही वर्तमान में पदधारण करने की योग्यता रखते है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा C.W.J.C.No. 13160/2025 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में इस विषय को उठाया गया था कि आयोग द्वारा पत्रांक–3097, दिनांक–11.07.2025 द्वारा जिलाधिकारी, पटना के प्रतिवेदन की माँग की गई थी, जिसका आयोग द्वारा प्रतीक्षा किये बिना सुनवाई की जा रही है। इस संबंध में आयोग द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई कि किसी भी वाद के दायर होने के उपरांत परंपरागत रूप से जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन की माँग की जाती है, परन्तु जब वाद की सुनवाई प्रारंभ होती है, उस दिन वाद की प्रकृति एवं साक्ष्यों के आधार पर आयोग द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि वास्तव में प्रतिवेदन की आवश्यकता है, अथवा नहीं। यदि आवश्यकता होती है, तो प्रतिवेदन/सत्यापन की माँग की जाती है, अन्यथा नहीं। यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त होता है, या प्राप्त किया जाता है, तो समान रूप से सभी पक्षों को इसे उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वह अपना पक्ष प्रतिवेदन पर रख सके।

आयोग द्वारा उन्हें यह भी सूचित किया गया कि इस वाद में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना से कोई सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

आयोग द्वारा उन्हें यह भी सूचित किया गया कि आपके मुवक्किल द्वारा Speed Post के माध्यम से पत्र लिखकर समय विस्तार का माँग किया गया है, जबकि आपके द्वारा Maintainability Petition दायर कर Maintainability पर सुनवाई का अनुरोध किया जा रहा है। सुनवाई को लेकर यह आपके एवं आपके मुवक्किल का परस्पर विरोधी Stand को दर्शाता है। साथ ही साथ यह न्यायालय के स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध भी है। यदि उनके द्वारा वकालतनामा देकर आपको प्राधिकृत किया गया है, तो उन्हें किसी प्रकार का अनुरोध विधि की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही करना चाहिए। आगे आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ता को सूचित किया गया कि इस प्रकार के किसी आवेदन पर आयोग विचार नहीं करता तथा भविष्य में यदि इस प्रकार से कोई पत्राचार किया जाता है, तो इसे आयोग के न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप माना जायेगा।

आयोग द्वारा दोनों विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरांत बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 (यथासंशोधित) के संगत प्रावधानों तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा रजनी कुमारी वाद में दिये गये न्याय–निर्णय का सूक्ष्मावलोकन एवं विश्लेषण किया गया, तो पाया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 (यथासंशोधित) की धारा–18 एवं धारा–475 में वर्णित अयोग्यता/योग्यता से संबंधित मामलों की सुनवाई की पूर्ण अधिकारिता राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार में निहित है, चाहे मामलें को निर्वाचन के पूर्व अथवा निर्वाचन के पश्चात् ही आयोग के संज्ञान में क्यों न लाया गया हो।

मामलें के संज्ञान में आने के उपरांत आयोग को केवल इतनी सावधानी रखनी है कि आयोग Purely Election Dispute से संबंधित मामलें की सुनवाई नहीं करेगा तथा आयोग ऐसे मामले में जहाँ निर्विवाद साक्ष्य प्राप्त हो तथा मामला योग्यता/अयोग्यता से संबंधित हो, सुनवाई कर सकेगा। विचाराधीन वाद में उक्त सभी शर्त्तें पूरा होती हैं, जिससे आयोग विचाराधीन वाद के सुनवाई के पूर्ण अधिकारिता रखता है।

आयोग प्रतिवादी द्वारा उठाये गये 03 न्यायिक सिद्धांतों के आधार पर वादी के आक्षेपों के विरूद्ध Maintainability की चुनौती पर भी विचार किया गया, तो पाया गया कि वादी का तर्क/जवाब स्वीकार योग्य है, जबकि प्रतिवादी का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। **अतः आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रतिवादी के Maintainability संबंधी तर्क/अनुरोध को खाारिज करने का निर्णय लिया जाता है** तथा सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–16.09.2025 को 03:30 बजे अपराह्न में निर्धारित की जाती है। चूँकि यह तिथि सुनवाई के दौरान निर्धारित की जा रही है। अतः अलग से नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। Maintainability संबंधी इस आदेश की प्रति को वादी एवं प्रतिवादी को तामिला करा दिया जाए।

ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
10.09.2025

ज्ञापांक–26/2025 - 3711 पटना, दिनांक–11/09/2025

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **पटना**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **पटना** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।श्रीमती पूजा कुमारी, वरीय उपसमाहर्त्ता–सह–विकास शाखा, **पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुये, आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

11/9/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–26/2025 - 3711 पटना, दिनांक–11/09/2025

वादी अशोक कुमार, पिता–राम नरेश यादव, ग्राम मोहनी पोखर, पोस्ट–अमरपुरा, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना तथा प्रतिवादी श्री सरयुग मोची, पिता स्व0 गनौरी मोची, ग्राम–आरोपुर, पोस्ट–अमरपुरा, थाना–नौबतपुर,(नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद, नगर पंचायत नौबतपुर), जिला–पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
अनु0:–आदेश की छायाप्रति।

11/9/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–26/2025 - 3711 पटना, दिनांक–11/09/2025

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को सूचनार्थ एवं वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/9/25
विशेष कार्य पदाधिकारी